फाइल नं0-71-3099/130/2022-03

94/2022/I/182383/2022

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 24 जून, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में 100 बेड के पीडियाट्रिक कोविड हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु उपकरणो के क्रय हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एएसएमसी/प्रतापगढ़/2022/624, दिनांक 04.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा कोविड-19 महामारी की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ के अधीन 100 बेड के पीडियाट्रिक कोविड हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु क्रय किये गये उपकरणों की लागत रू0 26936407.00 के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 59,36,407.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत पीडियाट्रिक कोविड हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु क्रय किये गये उपकरणों (निम्नानुसार) की अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 59,36,407.00 **(रूपये उनसठ लाख छत्तीस हजार चार सौ सात मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जाती है:-

S.No.	Name of Equipments	Quantity	Make/Model with ID	Total Value
1	High Flow headed respiratory Humidifier along with accessories	05	Make Draegerwerk Model: HI Flow Star with oxymixer department: Pediatrics with Accessories	2022128.00
2	Portable X-Ray machine (Mobile Digital Radiography System)	01	Make & Model: Allengers Model MARS 4.2 (Litex DR)	1795000.00
3	Pediatric Ventilator	06	Model: Neumovent Graphet Advance	8848737.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	Multi Channel monitor 5 Para	50	Make Philips Model GS20	4760000.00
5	Eco Colour Doppler	01	Make Philips Model AFFINITI 30	2352000.00
6	Infant Warmer	02	Make-Phoenix Model-NSW101	129800.00
7	Bipap	05	Make: BMC Model Resmart G-II	1366400.00
8	Sunction Machine	06	HV Suction Machine (Oxymed)	52980.00
9	Nebulizer	09	Revine Life Sciences RLS-202	22500.00
10	Defibrillator	02	Techino Care TFT display cardiac monitor	445712.00
11	Syringe Infusion Pump	98	Smith Medicals Grasbey C9	3861200.00
12	Bubble C Pap	05	Mice Neotech Nice-50605	1279950.00
			Total	26936407.00
			एसडीआरएफ मद से आवंटित् धनराशि	21000000.00
			अवशेष धनराशि	5936407.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-804/71-1-2021-जी-228/2017टी0सी0-6, दिनांक 16.06.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था/प्रधानाचार्य/ वित्त नियंत्रक/क्रय समिति एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।
3. उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुए आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व प्रधानाचार्य की होगा।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
6. उपकरणों के क्रय के उपरांत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
10. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0 हेतु जेम के माध्यम से किये जाने वाले प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0अ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
15. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 59,36,407 (रुपये उनसठ लाख छत्तीस हजार चार सौ सात मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058903 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक-)अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।